इंदौर में बहुमंजिला इमारतों पर लागू हुआ नया टैक्स

- वर्तमान गाइड लाइन का 6% से आश्रय निधि का करना होगा भुगतान
- शहर की सैंकड़ों बहुमंजिला इमारतें उक्त नियम की जद में

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर. राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 में जारी गजट नोटिफिकेशन से नगर निगम को 3 सौ करोड़ की आय होने की संभावना है। इसके तहत अब नगर निगम सीमा में निर्मित बहुमंजिला इमारतों को निगम कॉलोनी सेल में आश्रय निधि जमा करके एनओसी लेना अनिवार्य है. निगम को आश्रय निधि का भुगतान गाइड लाइन की वर्तमान दर से 6 प्रतिशत राशि चुकाना होगी. शहर में पिछले चार साल में बनी बहुमंजिला इमारत के रहवासियों ओर बिल्डरों को राशि देना पड़ेगी. बताया जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत को भी सरकार ने कॉलोनाइजेशन का हिस्सा माना है.

नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा ने निगम सीमा में आश्रय निधि जमा करने के नोटिस जारी कर दिए है. वहीं हाईकोर्ट में केविएट भी लगा दी है, जिससे बिल्डर कोर्ट से आश्रय निधि राशि को लेकर स्थगन नहीं ले सके. दरअसल 2 जुलाई को नव भारत ने छोटा बांगड़दा स्थित खसरा न.363/4 एवं 363/5 की 0599 हेक्टेयर पर निर्मित बहुमंजिला को लेकर नगर निगम की कॉलोनी सेल आश्रय निधि के मामले का खुलासा किया था. निगम भवन अनुज्ञा शाखा ने उक्त खसरे पर

निर्माणाधीन इमारत को लेकर सार्थक कंस्ट्रक्शन के अभिषेक अग्रवाल को कॉलोनी सेल से एनओसी के लिए नोटिस दिया था, जिसमें उनके तर्कों को अमान्य करते हुए आश्रय निधि की राशि जमा करने पर ही नक्शा संशोधन की अनुमति देने का उल्लेख है. इसके बाद निगम भवन अनुज्ञा शाखा ने निगम सीमा में जनवरी 2022 के बाद स्वीकृत नक्शों के आधार पर सभी बहुमंजिला इमारतों को नोटिस जारी कर कॉलोनी सेल की आश्रय निधि जमा करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि एक अनुमान के अनुसार शहर में 450 से 500 सौ बहुमंजिला इमारत का काम चल रहा है. इसके तहत नगर निगम को वर्तमान गाइड लाइन से 6 प्रतिशत राशि का भुगतान करना है. कॉलोनी सेल सूत्रों के अनुसार आश्रय निधि से निगम को 250 से 300 सौ करोड़ रुपए मिलने की संभावना है.

राज्य शासन ने जनवरी 2022 में किया एनओसी लेना अनिवार्य

राज्य शासन ने 13 जनवरी 2022 को ही पूरे प्रदेश में गैर आवासीय, व्यवसायिक और बहु प्रकोष्ठीय भवनों पर कॉलोनी सेल विभाग में विकास शुल्क और आश्रय निधि की राशि जमा करके एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही सभी नगर निगम को उक्त आदेश और गजट नोटिफिकेशन की जानकारी भेज कर विकास शुल्क और आश्रय निधि की राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं.

इस बारे में भवन अनुज्ञा शाखा के प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आश्रय निधि के लिए 230 से ज्यादा नोटिस जारी कर दिए हैं. आश्रय निधि जमा कर कॉलोनी सेल से एनओसी लेने के बाद ही आगे निर्माण किया जा सकेगा. साथ ही कॉलोनी सेल आश्रय निधि जमा नहीं करने पर भवन सील करने की कार्रवाई होगी।

यह है नियम...

राज्य शासन के निम्न नियमों के तहत निगम को आश्रय निधि का करना होगा भुगतान. राज्य शासन ने नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत कॉलिनी विकास नियम 2021 के प्रचलित नियमों के तहत भूमि/ भूखंडों पर विकास अनुमति/ एनओसी के लिए कॉलोनी सेल विभाग को आश्रय निधि देने का उल्लेख है.

निगम की आश्रय निधि को लेकर कार्रवाई-नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा के अपर आयुक्त ने सभी बहुमंजिला इमारतों के निर्माताओं को निगम कॉलोनी सेल में आश्रय निधि जमा कर एनओसी /अनुमति लेने का लिए कहा है. सूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि हाईकोर्ट में केविएट दायर की जा चुकी है। निगम का पक्ष सुने बगैर कोर्ट किसी तरह का निर्णय नहीं करेगी.

आश्रय निधि की गणना का उदाहरण

शहर में उदाहरण के लिए 20 हजार वर्गफुट पर छह मंजिला भवन ओर उसमें निर्मित 60 प्रकोष्ठें बने हैं. हर मंजिल पर दो या तीन बेड रूम के 10 फ्लैट है, तो उनका कुल वर्गफुट जोड़कर, जितना निर्माण होगा, उसका वर्तमान गाइड लाइन से 6 प्रतिशत भुगतान बिल्डर को करना होगा. 60 फ्लैट मतलब 60 परिवार. 60 परिवार कॉलोनी सेल के कॉलोनाइजेशन की श्रेणी माना जाएगा. इस हिसाब से एक बहुमंजिला इमारत में जमीन सहित 1 लाख से ज्यादा वर्गफुट विकास हुआ. उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र की गाइड लाइन 5 हजार रुपए वर्गफुट है, तो एक लाख वर्ग फुट का 50 करोड़ रुपए बनते हैं. 50 करोड़ का 6 त्न करीब 3 करोड़ रुपए आश्रय निधि होगी.

आईडीए की फर्जी एनओसी से नक्शा पास कराने की साजिश का खुलासा

- एक महिला सहित तीन लागों को किया गिरफ्तार
- टीएंडसीपी में फर्जी दस्तावेज जमा कर आवासीय नक्शा स्वीकृत कराने का प्रयास

राजा सिंह सानिया शेख पंकज व्यास

नव भारत न्यूज

इंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तैयार कर नगर एवं ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) कार्यालय से आवासीय नक्शा स्वीकृत कराने की साजिश का तुकोगंज पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने ग्राम हुक्माखेड़ी स्थित भूमि के लिए आईडीए के अधिकारी के नाम से फर्जी एनओसी तैयार कर उसे असली बताकर टीएंडसीपी कार्यालय में प्रस्तुत किया था. आईडीए के भू अर्जन अधिकारी की शिकायत पर तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि योजना क्रमांक 97/4 अंतर्गत ग्राम हुक्माखेड़ी की सर्वे नंबर 95/1/5/2, 95/1/5/3 और 96 की भूमि पर आवासीय नक्शा स्वीकृत कराने के लिए फर्जी एनओसी तैयार कर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी.

आरोपियों का रिमांड लेकर की जा रही पूछताछ

जांच के आधार पर पुलिस ने सानिया शेख आजाद नगर, राजा सिंह शांतिदीप कॉलोनी, एलआईजी के पीछे और पंकज व्यास अमृत पैलेस, निपानिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत से आरोपियों का पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है. पुलिस अब रिमांड के दौरान यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी एनओसी तैयार करने और उसे सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे. दस्तावेज तैयार करने वाले तथा पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

अन्य लोगों की संलिप्तता की भी की जा रही जांच-इस संबंध में तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान ने बताया कि आईडीए की फर्जी एनओसी तैयार कर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में प्रस्तुत करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लिया है. मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

लॉरेंस गैंग पर विदेश में शिकंजा इंदौर पुलिस की भी है नजर

- हैरी बॉक्सर, रोहित बराड़ समेत चार आरोपी इंदौर के रंगदारी केस में भी नामजद, भारत लाए जाने पर होगी गिरफ्तारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कनाडा और अमेरिका में तेज हुई कार्रवाई का असर मध्यप्रदेश के मामलों पर भी पड़ सकता है. गैंग के कुख्यात सदस्य हैरी बॉक्सर और रोहित बराड़ समेत चार आरोपियों को इंदौर के रंगदारी प्रकरण में भी आरोपी बनाया है. पुलिस का कहना है कि यदि विदेशी एजेंसियों की कार्रवाई में ये आरोपी गिरफ्तार होकर भारत लाए जाते हैं तो इंदौर के मामले में भी इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया था कि लॉरेंस गैंग के नाम पर प्रदेश के कई शहरों में व्यापारियों को करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए धमकियां दी गई थीं. अकेले इंदौर, भोपाल, अशोकनगर और कसरावद में दर्ज प्रकरणों में हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है. इन मामलों में पुलिस स्थानीय नेटवर्क से जुड़े आठ से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल जेल में हैं. जांच के दौरान हैरी बॉक्सर, रोहित बराड़ सहित चार विदेशी आरोपियों को भी प्रकरणों में नामजद किया है. सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से कनाडा और अमेरिका की जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ समन्वित कार्रवाई कर रही हैं. ऐसे में यदि गैंग के वांछित सदस्य वहां गिरफ्तार होते हैं और प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाए जाते हैं तो मध्यप्रदेश में दर्ज चारों मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में दर्ज प्रकरणों में इन आरोपियों के खिलाफ पहले से पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं.

एक नजर में

भाविप अहिल्यानगरी ने किया पौधरोपण

इंदौर. भारत विकास परिषद (भाविप) के 64वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत अहिल्यानगरी शाखा द्वारा एसजीएसआईटीएस कैंपस में पौधरोपण किया गया. एक पौधा, एक जीवन के ध्येय वाक्य के साथ शुरू हुए इस अभियान में परिषद के सदस्यों ने सपरिवार हिस्सा लिया. भाविप अध्यक्ष संजय मेहता के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पर्यावरण संरक्षण को हर नागरिक का नैतिक दायित्व बताया गया. संस्था के निदेशक प्रोफेसर नीतीश पुरोहित ने परिषद के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पौधों को लगाने के साथ उनका संरक्षण भी बेहद जरूरी है. संस्थान के बागवानी प्रभारी एलेक्स कुट्टी ने मियावाकी तकनीक के बारे में बताया और सीड-बाल निर्माण की ट्रेनिंग भी दी. निर्जीव पौधों की जगह जीवित पौधों के पुनर्स्थापन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय संपर्क टोली के सदस्य मनीष बिसानी और क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव राजकुमार साबू विशेष रूप से उपस्थित रहे. अभियान को सफल बनाने में पर्यावरण प्रभारी राजकुमार-डॉ. अंजना जैन, किशोर-सुषमा कोठारी, संयोजक योगेश-सुनीता गुप्ता, अजय-सीमा माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप-पिंकी धनौतिया, राजेंद्र आर्य, विमला आर्य, कैलाश खंडेलवाल, पिंकी खंडेलवाल, राधाकृष्ण भटोरे, संजय सूर्यवंशी, स्वाति सूर्यवंशी, नीरज अग्रवाल, योगेश केवड़ा, रश्मि केवड़ा, नितिश शर्मा, सुरभि कोठारी, कृष माहेश्वरी, रोटरी मार्शल से कैलाश राठी, हेमंत तिवारी, सुनील ओझा, अजय जैन, बालकृष्ण मिश्र, अतुल माहेश्वरी और कैलाश रिझवानी सहित अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया. समापन पर सचिव गौरव-पंखुरी माहेश्वरी ने एसजीएसआईटीएस प्रबंधन, बागवानी प्रभारी एलेक्स कुट्टी और सहभागी परिवारों का आभार माना.

नवजात शिशुओं का टीकाकरण एवं पोलियो अभियान शिविर

इंदौर. बजरंग नगर स्थित काले धर्मशाला में शुक्रवार को नवजात एवं छोटे बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण एवं पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया. शिविर में डेढ़ माह, दो माह और तीन माह तक के बच्चों को आयु के अनुसार आवश्यक टीके लगाए गए तथा पोलियो की दवा भी पिलाई गई. शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों का टीकाकरण स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से किया. आसपास के क्षेत्रों से अभिभावक अपने बच्चों को टीकाकरण और पोलियो की खुराक दिलाने के लिए पहुंचे. आंगनवाड़ी शिक्षिका सुनीता जी ने बताया कि यह शिविर शासन की ओर से प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य क्षेत्र के सभी नवजात एवं छोटे बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना, उन्हें गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखना तथा पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का निर्धारित समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं.

13 जुलाई से 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट का आगाज

इंदौर. मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन द्वारा नेहरू स्टेडियम में 13 से 16 जुलाई के बीच इंटर-स्कूल 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट% का आयोजन किया जाएगा. बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन भोलू मेहता ने बताया कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना और युवाओं को इस रोमांचक खेल को एक बेहतरीन करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शहर और आसपास के सभी स्कूलों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.

स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में कारोबारी की मौत

इंदौर. रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई. ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक ग्वालियर का रहने वाला था और व्यापारिक कार्य से इंदौर आया था. रेलवे पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान हर्ष गुप्ता, निवासी सुनार मोहल्ला, ग्वालियर के रूप में हुई है. वह सुबह करीब साढ़े नौ बजे ग्वालियर से आई ओवरनाइट एक्सप्रेस से इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर 4 पर उतरा था, इसके बाद उसे रतलाम जाने के लिए प्लेटफॉर्म नम्बर 1 से डेमू ट्रेन पकड़नी थी. प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान हर्ष ने

चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह ट्रेन के नीचे आ गया. हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही इंदौर में रहने वाले उसके रिश्तेदार रेलवे स्टेशन पहुंच गए. वहीं ग्वालियर स्थित परिजनों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई, जिसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना हो गए. रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ऑनलाइन खरीदारी और फर्जी पुलिस कॉल से 1.72 लाख की ठगी

इंडिया मार्ट पर एसी गैस सप्लाई के नाम पर व्यापारी से 82 हजार ठगे

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में साइबर ठग लगातार नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. एक मामले में इंडियामार्ट पर एसी गैस सप्लाई का झांसा देकर ऑटो पार्ट्स व्यापारी से 82 हजार रुपए की ठगी कर ली गई, जबकि दूसरे मामले में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर बेटे को रेप केस में गिरफ्तार करने का भय दिखाकर 90 हजार रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए. दोनों मामलों में साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

छोटी ग्वालटोली पुलिस के अनुसार, रानी बाग निवासी पवनदीप सिंह खनूजा, कीबे कंपाउंड स्थित अपनी फर्म खनूजा इंटरप्राइजेज के लिए 2 जून को एसी गैस खरीदना चाहते थे. उन्होंने इंडियामार्ट पर सप्लायर का नंबर खोजा, जहां श्रुति इंटरप्राइजेज के नाम से संपर्क मिला. बातचीत के बाद आरोपी ने 220 टिन एसी गैस का इनवॉइस भेजकर मुंबई के एक बैंक खाते में 82 हजार रुपए जमा करा लिए. भुगतान के बाद आरोपी ने माल भेजने की कथित बिल्टी भी भेजी, लेकिन कई दिन तक सामान नहीं पहुंचा. जांच करने पर बिल्टी फर्जी निकली और आरोपी का मोबाइल भी बंद हो गया.

बेटे को रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर 90 हजार ऐंठे

कनाड़िया थाना क्षेत्र में राज वर्मा के पास 1 जुलाई को वॉट्सऐप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके बेटे को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है और जमानत के लिए तत्काल तीन लाख रुपए जमा करने होंगे. बेटे की चिंता में राज वर्मा ने अपने पास मौजूद 90 हजार रुपए बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए. बाद में बेटे से संपर्क करने पर पता चला कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तब उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ. दोनों मामलों में पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और ट्रांजेक्शन की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

लावारिस समझकर थाने में खड़े किए वाहन चोरी के निकले

- यातायात थाने में खड़े 14 दोपहिया वाहन असली मालिकों को लौटाए

नव भारत न्यूज

इंदौर. एमटीएच कंपाउंड स्थित यातायात थाना परिसर में लंबे समय से लावारिस समझकर खड़े किए गए वाहनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. यातायात पुलिस ने वाहन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर सत्यापन कराया तो 14 वाहन चोरी के निकले. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन वाहनों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द कर दिया. पुलिस अब ऐसे अन्य वाहनों की भी जांच करा रही है.

यातायात थाना पूर्व जोन 3 में पिछले 15 दिनों के दौरान यह कार्रवाई की गई. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ने लंबे समय से थाने में खड़े वाहनों का रिकॉर्ड खंगालने के साथ उनके वाहन नंबर और चेसिस नंबर का मिलान कराया. जांच में सामने आया कि कई वाहन विभिन्न यातायात उल्लंघनों, नो पार्किंग और अन्य मामलों में जब्त कर थाने लाए गए थे, लेकिन दस्तावेज नहीं होने या दावा नहीं किए जाने के कारण वर्षों से परिसर में खड़े थे.

10 थानों में दर्ज थीं चोरी की शिकायतें... -जांच में जिन 14 वाहनों की पहचान हुई, उनकी चोरी की रिपोर्ट इंदौर के चंदन नगर, तिलक नगर, लसूड़िया, एमजी रोड, सेंट्रल कोतवाली, बाणगंगा, राजेंद्र नगर, जूनी इंदौर और संयोगितागंज थानों में दर्ज मिली. एक वाहन की चोरी का मामला उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में दर्ज था.

अन्य लावारिस वाहनों की भी हो रही जांच

थाना प्रभारी पूर्व जोन 3, अरविंद दांगी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लंबे समय से थाने में खड़े वाहनों का सत्यापन कराया. वाहन नंबर और चेसिस नंबर के मिलान में कुछ वाहन चोरी के निकले, जिन्हें संबंधित थानों की कार्रवाई के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है. अब अन्य लावारिस वाहनों की भी इसी तरह जांच की जा रही है.

चाय दुकान संचालक 3 .5 किलो गांजे के साथ धराया

- सांवेर रोड पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
- बैग में भरकर बेचने ले जा रहा था गांजा

नव भारत न्यूज

इंदौर. क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को 3.526 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी सांवेर रोड स्थित इंडस्ट्री एरिया में बैग में गांजा लेकर जा रहा था. सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. उसके कब्जे से पिट्ठू बैग में रखा गांजा जब्त किया है.

गिरफ्तार आरोपी का नाम संजू

पटेल उम्र 36 साल निवासी गोविंद नगर खारचा, बाणगंगा बताया गया है. आरोपी चाय की दुकान संचालित करता है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वह गांजा बिक्री करने की नीयत से अपने पास रखे हुए था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और पूछताछ की जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई...

डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी के अनुसार यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर सांवेर रोड के सेक्टर एफ क्षेत्र में कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी गांजा कहां से लाता था और इसकी सप्लाई किन लोगों तक करता था. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एक नजर में

ब्राउन शुगर तस्करी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से पूछताछ मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा

नाना बोले : 3 साल पहले छोड़ चुका हूं नशा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 10 जुलाई. ब्राउन शुगर तस्करी की जांच में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से पूछताछ के बाद मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है.

शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है और मामले की जांच जारी है. प्रेसवार्ता में नाना पटवारी ने स्वीकार किया कि वे करीब तीन वर्ष पहले तक नशे की लत के शिकार थे,

लेकिन रिहैब सेंटर में इलाज कराने के बाद उन्होंने पूरी तरह नशा छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनका ड्रग तस्करी से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें केवल इसलिए परेशान किया क्योंकि वे जीतू पटवारी के भाई हैं. नाना ने बताया कि वे अपनी कार सर्विसिंग देने के लिए गए थे, तभी पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई. पूरे दिन उनसे पूछताछ की गई, लेकिन हिरासत में लेने का कारण नहीं बताया गया.

पूछताछ के बाद सशर्त छोड़ा नाना पटवारी को

ब्राउन शुगर प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी और मानव गंगवानी के नाम सामने आए थे. इसी आधार पर दोनों से पूछताछ की गई। फिलहाल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और न ही किसी को बेवजह फंसाया जाएगा.

डीसीपी जोन 1 नरेंद्र सिंह रावत

सरकार विपक्ष को बना रही है निशाना

प्रदेश सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बना रही है. भाई को बिना किसी ठोस साक्ष्य के हिरासत में लेकर परेशान किया गया.

पीसीसी अध्यक्ष, जीतू पटवारी

गुरुवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने रेतमंडी चौराहे के पास से इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल उर्फ रॉनी को करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में दोनों ने नाना पटवारी और मानव गंगवानी का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की. देर रात पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें सशर्त छोड़ दिया.

मंगलसूत्र नहीं देने पर पत्नी को पीटा

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र में मंगलसूत्र को लेकर हुए विवाद में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. चामर मोहल्ला में रहने वाली 35 वर्षीय सुनीता नरवरिया ने शिकायत दर्ज कराई कि उनका पति सुरेश नरवरिया घर आया और मंगलसूत्र मांगने लगा. मना करने पर उसने गाली गलौज शुरू कर दी, विरोध करने पर आरोपी ने हाथ थप्पड़ों से मारपीट की. घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची, जहां पुलिस ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.